डिस्कलेमर

परामर्श पत्र संख्या 26/2021-22 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां और हितधारकों की परामर्श समयसीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल ऐरा/20010/एमवाईटीपी/पुणे/ सीपी -III/2021-26

परामर्श पत्र संख्या 26/ 2021-22

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (पीएनक्यू) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 30 दिसम्बर, 2021

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि विमानन क्षेत्र कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक अस्त-व्यस्त और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और इसके कारण विश्व भर के प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की स्थिति होने के परिणामस्वरूप अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक है। प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र वर्तमान में जारी किया है जिसमें हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') के संबंध में प्राधिकरण के विश्लेषण और अवलोकनों के आधार पर प्रस्ताव पेश किए गए है। प्राधिकरण ने इस मामले के संबंध में हवाईअड्डा प्रचालकों, **आईएटीए**, **एसीआई**, **फिक्की** आदि जैसे उद्योग निकायों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद तथा विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने के बाद कारोबार संबंधी वर्तमान परिदृश्य में संभावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण यातायात, प्रचालन व्यय और गैर-वैमानिक राजस्व में आवश्यक संशोधन किए हैं। प्राधिकरण परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणयों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करते हुए उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

यह परामर्श पत्र तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए समयबद्ध तरीके से वैमानिक टैरिफ का निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए जारी किया जा रहा है। तदनुसार इस परामर्श पत्र के जारी होने की तारीख तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सूचना, ब्यौरे और स्पष्टीकरण के आधार पर यह परामर्श पत्र जारी किया गया है।

इस परामर्श पत्र में दिया गया विश्लेषण एएआई के वित्त वर्ष 2020-21के आकलित आंकड़ों पर आधारित है। टैरिफ आदेश जारी करते समय वित्त वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर इसे अद्यतन कर दिया जाएगा। प्राधिकरण परामर्श प्रक्रिया के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त होने पर वित्त वर्ष 2020-21 के वास्तवित वित्तीय निष्कर्षों को मानेगा और टैरिफ आदेश में इसके कारण उपयुक्त ढंग से आवश्यक समायोजन करेगा। यदि हवाईअड्डा प्रचालक वित्त वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षित वित्तीय निष्कर्ष उपलब्ध नहीं करता है तो प्राधिकरण टैरिफ आदेश में वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वानुमानों में उपयुक्त परिवर्तन करेगा।

इसलिए ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के परामर्श पत्र संख्या 26/2021-22 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलेक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल rajan.gupta1@aera.gov.in प्रतिलिपि secrtary@aera.gov.in एवं director-ps@aera.gov.in,

हितधारकों की परामर्श बैठक (वर्चुअल)	14.01.2022
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	29.01.2022
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	09.02.2022

टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर भेजी जाएगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं:

13 हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा

14.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण के विश्लेषण के साथ पठित प्रस्तावों के सार (उपर्युक्त अध्याय 13) में निहित प्रस्ताव एतद् द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक दस्तावेज (संलग्नक –I से IV) लगाए गए हैं। संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय- वस्तु प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए । प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप से प्रमाणित तथा स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

14.1.*2* प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 13 में दिए गए प्रस्ताव पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 29.01. 2022 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.

ई-मेल : secrtary@aera.gov.in , director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in
टेलिफोन : 011 24695043 ; फैक्स 011-24695039

(अध्यक्ष)